(120)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–16–तीन/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–12–2011 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–08/निग0/2009–10

.....

1– श्रीमती रानी पाण्डेय बेवा स्व0 नन्दलाल पाण्डेय
2– बालेन्द्र शेखर पाण्डेय तनय स्व0 नन्दलाल पाण्डेय
3– शिवेन्द्र पाण्डेय तनय स्व0 नन्दलाल पाण्डेय
4– अवधेश पाण्डेय तनय स्व0 नन्दलाल पाण्डेय
5– नारायण्ण तनय उग्रसेन पाण्डेय
6– गंगा तनय बृजभूषण पाण्डेय
7– श्रीमती लीलावती पाण्डेय बेवा स्व0 प्रेमलाल पाण्डेय
8– श्रीमती राजकुमारी बेवा रामसिया पाण्डेय
9– दिनेश पाण्डेय तनय स्व0 रामसिया पाण्डेय
10– सनत कुमार तनय रामस्वरूप पाण्डेय
निवासीगण– ग्राम झगरी, तहसील रामपुर नैकिन
जिला–सीधी(म0प्र0)

------आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरिशंकर तनरय रामनरेश शुक्ला
2– शिवशंकर तनय रामनरेश शुक्ला
निवासीगण– ग्राम झगरी, तहसील रामपुर नैकिन
जिला–सीधी(म0प्र0)

------अनावेदकगण

.....

श्री मृत्युंजय द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेन्द्र पाण्डेय, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09/6/2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–12–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक तथा अनावेदक के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि अनावेदकगण ने उनके स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम झगरी तहसील रामपुर नैकिन खसरा क्रमांक 110 का सीमांकन कराया है एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त हनुमानगढ़ ने मौके पर सीमांकन किया है। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन पर नायब तहसीलदार वृत्त हनुमानगढ़ ने सीमांकन आदेश दिनांक 10.07.95 पारित किया है। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी क्रमांक 131/1994–95 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 12.09.95 से निरस्त हुई है। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 08/2009–10 पर पंजीबद्ध होकर पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12.12.2011 से निरस्त हुई है। कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 12.09.95 एवं आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 13.12.2011 के अवलोकन से परिलक्षित है कि दोनों न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया है कि अनावेदकगण के हित में हुये सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित हुई है। इसलिये सीमांकन कार्यवाही एवं नायब तहसीलदार वृत्त हनुमानगढ़ का सीमांकन आदेश दिनांक 10.07.95 निरस्त किया जावे। अनावेदकगण की भूमि की सीमांकन कार्यवाही से यदि आवेदकगण स्वयं की भूमि प्रभावित होना मानते है त बवह स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है। अतः इस आधार पर आवेदकगण को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है तथा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.12.2011 उचित पाये जाने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,